न्यायालयः– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधीनियम,मधेपुरा

SC/ST Case No.-76/19
C.I.S. No.-76/19

18-11-19 परिवादनी की हाजिरी दी गई। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रस्तुत वाद के परिवादीनी द्वारा दिनांक 15.7.2017 को घटित घटना को लेकर प्रस्तुत परिवाद पत्र विलास यादव एवं चार अन्य के विरूद्ध लाया गया हैं। घटना के समर्थन में परिवादनी के द्वारा खुद का धारा 200 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत शपथ पर ब्यान दर्ज कराया गया हैं तथा धारा 202 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत दो जाँच साक्षी क्रमशः (1)हरेराम पासवान एवं (2) वालकृष्ण पासवान का जाँच साक्ष्य कराया गया हैं।

परिवादनी का आरोप हैं कि परिवादनी के पुत्र नन्दन पासवान एवं डोली कुमारी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा दोनों शादी के नीयत से चले गये थे। घटना के 5 दिन वाद आलमनगर थाना की पुलिस घर पर आई तो पता चला कि परिवादनी के परिवार के सदस्यों एवं सम्बन्धितों को मुदालय बनाया गया हैं। दिनांक 15.7.17 को संध्या 7:00 बजे (1)विलास यादव (2)इन्द्रदेव यादव (3)मिथिलेश यादव (4)मुकेश यादव (5)मंटू यादव एवं अन्य के द्वारा एकमत होकर लाठी, डंडा से लैश होकर परिवादनी के घर पर आये तथा बोले कि साली दुसाधनी तुमको जान मार देंगे, तुम्हारा बेटा घटना किया है इसलिये 2,00,000/–(दो लाख) रूपया आज दो नही तो सभी घर में आग लगा देंगे तथा बिलास यादव

18-11-19 दुसाधीन कहकर गाली देते हुये लप्पड़–थप्पड़ मारने लगे एवं अन्य लोग भी घर में घुसकर समान वगैरह फेकने लगे। इसी क्रम में घर से बर्तन बिछावन वगैरह अन्य सामान कीमत 10,000/– रूपये का लेकर चले गये तथा धमकी दिये कि रूपया नही देगी तो सभी परिवार को जान से मार देंगे।

मेरे द्वारा परिवादनी का परिवाद पत्र, परिवादनी का शपथ पर ब्यान, दोनों जाँच साक्षी के जाँच साक्ष्यों का परीशीलन किया गया तथा समग्र रूप से विचार किया गया। तदोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि परिवाद पत्र में अभियुक्त के कॉलम में दर्ज अभियुक्त क्रमशः (1) विलास यादव (2) इन्द्रदेव यादव (3) मिथिलेश यादव (4) मुकेश यादव (5) मंटू यादव के विरूद्ध धारा 341, 323, 379, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 एवं 3(i)(s) एवं 3(2)(va) SC/ST(P.O.A.) Act, के अन्तर्गत सम्मन निर्गत करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ प्रतीत होता हैं। एतद् द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को आहुत किया जाता हैं। परिवादनी को निर्देश दिया जाता हैं कि दिनांक 04–12–19 तक सम्मन का आपेक्षित एवं तलवाना दाखिल करें।

लेखापित

विशेष न्यायाधीश, अनूसूचित जाति/जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
मधेपुरा